कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) अनूपपुर म.प्र.

क्रमांक / 2390 / वन अधि. / आ.वि. / 2011 / अनूपपुर दिनांक 9-5-11

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जिले **अनूपपुर** के ग्राम **पकरिहा** के आरक्षित वन क्षेत्र के वन खण्ड.कल्याणपुर (10) **के कक्ष क्रमांक आरएफ 264 के अंशभाग 30.036 हे. भूमिगत कोयला उत्खनन उपयोग में है। उक्त वन भूमि मूल प्रकरण अनुसार 255.736 है. वन भूमि कोयला उत्खनन एवं 68.979 हे. उपरीतल उपयोग हेतु व्यपवर्तन नवीनीकरण प्रस्ताव के अन्तर्गत कुल वनक्षेत्र रकबा 364.751** हेक्टेयर है (जो वन परिक्षेत्र कल्याणपुर 10 के अन्तर्गत है) **एस.ई.सी.एल.जमुना कोतमा की जमुना 1/2 खदान, भदरा 7/8 जमुना 9/10 एवं कोतमा वेस्ट खदान में भूमिगत कोयला उत्खनन एवं आवासीय कालोनी /कार्यालयीन भवन एवं अन्य अवसंरचनाये जो पूर्व से निर्मित है, कार्य किया जाना है,** में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता)अधिनियम 2006 के अंतर्गत व्यपवर्तन एवं अधिकारों के व्यवस्थापन की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है।

अभिलेखों के आधार पर यह पाया गया है **एस.ई.सी.एल.जमुना कोतमा की जमुना 1/2 खदान, भदरा 7/8, जमुना 9/10 एवं कोतमा वेस्ट खदान में भूमिगत कोयला उत्खनन एवं आवासीय कालोनी /कार्यालयीन भवन एवं अन्य अवसंरचनाये जो पूर्व से निर्मित है, कार्य इत्यादि** परियोजना के व्यपवर्तन हेतु प्रस्तातिव कुल रकबा **364.751** हेक्टेयर वनभूमि पर उसके चारों ओर निवासरत किसी व्यक्ति या सामुदाय के कोई भी दावे अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत **लंबित अथवा अनिर्णित नही है।**

9 यह प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि व्यपवर्तन का उपरोक्त प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा जा चुका है। प्रस्ताव का विस्तृत विवरण तथा उसके प्रभावों की व्याख्या उन्हे स्थानीय भाषा में की जा चुकी है। साथ ही जिले के अंतर्गत संपूर्ण आवेदित वन क्षेत्र **364.751** हेक्टेयर में किसी रहवास या राजस्व ग्राम की सीमा नही है।

3 प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा एवं निर्णय केवल तभी लिया गया जब ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों का न्यनतम 50 प्रतिशत कोरम पूर्ण था। (यदि कडिंका 2 के प्रकाश में लागू हो)

4 यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(1) (e) के अनुसार आदिम जनजाति समूहो और कृषि पूर्ण समुदायों के अधिकारों को विशेष रूप से सुरक्षित किया गया है।

5 यह प्रमाणित किया जाता है कि शासन द्वारा प्रबंधित की जाने वाली सुविधाओं हेतु वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही (यदि हो तो) अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा (2) की आवश्यकतानुसार पूरी की जा चुकी है तथा प्रभावित ग्राम सभाओं की इसमें है।

(कवीन्द्र कियावत)
कलेक्टर/अध्यक्ष
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
जिला अनूपपुर (म.प्र.)

पृ.क्रमांक / 2391 / वन अधि. / आ.वि. / 2011 / अनूपपुर दिनांक 9-5-11

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भूप्रबंध) सतपुड़ा भवन मध्य प्रदेश भोपाल।
2. संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजना सतपुड़ा भवन मध्य प्रदेश भोपाल।
3. वन मण्डला अधिकारी वन मण्डल अनूपपुर म0प्र0।
4. मुख्य महाप्रबंधक हसदेव क्षेत्र एस.ई.सी.एल रामनगर उपक्षेत्र अनूपपुर ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अनूपपुर।
6. संबंधित ग्राम सभा .... की ओर सूचनार्थ।

(कवीन्द्र कियावत)
कलेक्टर/अध्यक्ष
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
जिला अनूपपुर (म.प्र.)

71-95

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) अनूपपुर म.प्र.

क्रमांक/2291/वन अधि./आ.वि./2012/ अनूपपुर दिनांक 13/4/12

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जिले अनूपपुर के के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद कोतमा के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वन खण्ड कक्ष क्रमांक आर.एफ 264 के अंशभाग रकबा 27.520 हेक्टयर भूमिगत उत्खनन हेतु तथा 2.000 हेक्टयर पूर्व निर्मित आवासीय कालोनी सडक,गेस्टहाउस,मैगजीन कार्यालय भवन एवं अन्य संरचना के उपयोग हेतु एवं नगर पालिका पसान के अन्तर्गत 66.000 हेक्टयर वनभूमि भूमिगत कोयला उत्खनन कार्य हेतु तथा 53.990 हेक्टयर वनभूमि पूर्व निर्मित आवासीय कालोनी ,सडक, मैगजीन, गेस्ट हाउस एवं कार्यालय भवन के उपयोग हेतु नवीनीकरण प्रस्ताव के अन्तर्गत है जो एस.ई.सी.एल. जमुना/कोतमा क्षेत्र के अन्तर्गत जमुना 1/2, भदरा 7/8 जमुना 9/10 एवं कोतमा वेस्ट खदान (एसईसीएल जमुना/कोतमा) कुल रकबा 149.510 वनभूमि व्यपवर्तन नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित है, में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत व्यपवर्तन एवं अधिकारों के व्यवस्थापन की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है।

अभिलेखों के आधार पर यह पाया गया है कि एस.ई.सी.एल. जमुना/कोतमा क्षेत्र के अन्तर्गत वनभूमि व्यपवर्तन नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित है कुल रकबा 149.510 हेक्टेयर वनभूमि पर उसके चारों और निवासरत किसी व्यक्ति या सामुदाय के कोई भी दावे अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत लंबित अथवा अनिर्णित नही है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि व्यपवर्तन का उपरोक्त प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा जा चुका है। प्रस्ताव का विस्तृत विवरण तथा उसके प्रभावों की व्याख्या उन्हे स्थानीय भाषा में की जा चुकी है। अथवा / यह कि व्यपवर्तन हेतु आवेदित क्षेत्र पर किसी व्यक्ति या समुदाय का कोई दावा नही होने के कारण यह बिन्दु लागू नही है। (जो लागू नही हो उसे काट दें) साथ ही जिले के अंतर्गत संपूर्ण आवेदित वन क्षेत्र 149.510 हेक्टेयर में किसी रहवास या राजस्व ग्राम की सीमा नही है। (यदि लागू हो तो)

3. .प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा एवं निर्णय केवल तभी लिया गया जब ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों का न्यनतम 50 प्रतिशत कोरम पूर्ण था। (यदि कडिका 2 के प्रकाश में लागू हों)

4. . यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(1) (न) के अनुसार आदिम जनजाति समूहो और कृषि पूर्ण समुदायों के अधिकारों को विशेष रूप से सुरक्षित किया गया है।

5.. यह प्रमाणित किया जाता है कि शासन द्वारा प्रबंधित की जाने वाली सुविधाओं हेतु वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही (यदि हो तो) अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा (2) की आवश्यकतानुसार पूरी की जा चुकी है तथा प्रभावित ग्राम सभाओं की इसमें सहमति है।" नगर पालिका क्षेत्र होने के कारण लागू नही है" अतः यह प्रमाण पत्र नगर पालिका परिषद कोतमा/पसान द्वारा जारी अनापत्ति/सहमति पत्र के आधार पर जारी की जा रही है। (जो भी लागू हों)

(जे0के0जैन)
कलेक्टर/अध्यक्ष
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
जिला अनूपपुर (म.प्र.)

क्रमांक/2292/वन अधि./आ.वि./2012/ अनूपपुर दिनांक 13/4/12

प्रतिलिपि:-

1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक कक्ष भू प्रबन्ध सतपुडा भवन म.प्र.भोपाल।
2 संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाऐं सतपुडा भवन भोपाल।
3 वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल अनूपपुर म.प्र.।
4 मुख्य महाप्रन्धक जमुना/कोतमा उपक्षेत्र अनूपपुर।
5 मुख्य नगर पालिका अधिकारी पसान/ कोतमा जिला अनूपपुर म.प्र.।

(जे0के0जैन)
कलेक्टर/अध्यक्ष
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
जिला अनूपपुर (म.प्र.)

कार्यालय नगर पालिका परिषद, कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.)

–ग्राम सभा का सहमति पत्र–

प्रमाणित किया जाता है कि

1. एसईसीएल जमुना कोतमा क्षेत्र के जमुना 1/2 खदान, भदरा 7/8, जमुना 9/10, कोतमा वेस्ट खदान में भूमिगत कोयला उत्खनन कार्य तथा उपरितल पर पूर्व से निर्मित आवासीय कालोनी, कार्यालयीन भवन, सड़क, गेस्ट हाउस, मैगजीन एवं अन्य अवसरंचनाओं का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, मेरे नगर पालिका क्षेत्र के ग्राम कल्याणपुर एवं गोईन्दा वन क्षेत्र के कक्ष कमांक आर एफ 264 का अंशभाग में आवेदित कुल 255.736 हे. में से भूमिगत कोयला उत्खनन कार्य हेतु 27.520 हे. तथा पूर्व से निर्मित आवासीय कालोनी, कार्यालयीन भवन, सड़क, गेस्ट हाउस, मैगजीन एवं अन्य अवसरंचनाओं का उपयोग हेतु कुल 68.979 हे. में से 2.000 हे. में है। उक्त वन भूमि व्यपवर्तन नवीनीकरण का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत होना है।
2. वन भूमि व्यपवर्तन नवीनीकरण का प्रस्ताव अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा जाता है।
3. चूंकि प्रश्नाधीन आवेदित क्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत होने के कारण एवं नगर पालिका क्षेत्र में ग्राम सभा गठित होने का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण यह अधिनियम लागू नहीं होती है। अतः नगर पालिका परिषद, कोतमा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना सहमति व्यक्त करती है।

दिनांक–

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, कोतमा.
हस्ताक्षर नाम एवं मुद्रा सहित

कार्यालय नगर पालिका परिषद, पसान, जिला अनूपपुर (म.प्र.)

–ग्राम सभा का सहमति पत्र–

प्रमाणित किया जाता है कि

1. एसईसीएल जमुना कोतमा क्षेत्र के जमुना 1/2 खदान, भदरा 7/8, जमुना 9/10, कोतमा वेस्ट खदान में भूमिगत कोयला उत्खनन कार्य तथा उपरितल पर पूर्व से निर्मित आवासी कालोनी, कार्यालयीन भवन, सड़क, गेस्ट हाउस, मैगजीन एवं अन्य अवसरंचनाओं का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, मेरे नगर पालिका क्षेत्र के ग्राम जमुना एवं पसान वन क्षेत्र के कक्ष कमांक आर एफ 264, आर एफ 265 एवं आर एफ 266 का अंशभाग में आवेदित कुल 255.736 हे. में से भूमिगत कोयला उत्खनन कार्य हेतु 66.000 हे. तथा पूर्व से निर्मित आवासीय कालोनी, कार्यालयीन भवन, सड़क, गेस्ट हाउस, मैगजीन एवं अन्य अवसरंचनाओं का उपयोग हेतु कुल 68.979 हे. में से 53.990 हे. में है। उक्त वन भूमि व्यपवर्तन नवीनीकरण का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत होना है।
2. वन भूमि व्यपवर्तन नवीनीकरण का प्रस्ताव अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा जाता है।
3. चूंकि प्रश्नाधीन आवेदित क्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत होने के कारण एवं नगर पालिका क्षेत्र में ग्राम सभा गठित होने का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण यह अधिनियम लागू नहीं होती है। अतः नगर पालिका परिषद, पसान एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना सहमति व्यक्त करती है।

दिनांकः– 17·2·11

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद पसान
हस्ताक्षर नाम एवं मुद्रा सहित

कार्यालय ग्राम सभा पकरिहा, जनपद पंचायत अनूपपुर
जिला अनूपपुर (म.प्र.)

–ग्राम सभा का सहमति पत्र–

प्रमाणित किया जाता है कि

1. साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (आवेदक विभाग का नाम) जमुना कोतमा क्षेत्र की जमुना 1/2 खदान, भदरा 7/8, जमुना 9/10 एवं कोतमा वेस्ट खदान (परियोजना का नाम) में भूमिगत कोयला उत्खनन एवं आवासीय कालोनी, कार्यालयीन भवन एवं अन्य अवसंरचनायें, जो पूर्व से निर्मित है (कार्य का नाम), मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम पकरिहा के आरक्षित/ संरक्षित वन क्षेत्र के वन खण्ड कल्याणपुर 10 के कक्ष कमांक आरएफ 264 के अंशभाग 30.036 हे. भूमिगत कोयला उत्खनन उपयोग हेतु, में है। **उक्त वन भूमि मूल प्रकरण के अनुसार 255.736 हे. वन भूमि कोयला उत्खनन उपयोग हेतु एवं 68.979 हे. उपरितल उपयोग हेतु व्यपवर्तन नवीनीकरण प्रस्ताव के अन्तर्गत है।** उक्त वन भूमि व्यपवर्तन नवीनीकरण का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
2. वन भूमि व्यपवर्तन नवीनीकरण का प्रस्ताव अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 05.02.2011 को की गई, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यपवर्तन नवीनीकरण के लिए आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं/ प्रकियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन नवीनीकरण के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्नः– ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की अभिप्रमाणित छायाप्रति।

दिनांकः–

सरपंच
ग्राम पंचायत पकरिहा
ज.पं./जि.अनूपपुर(म.प्र.)

सचिव
ग्रा. पंचायत पकरिहा

प्रधान/ सचिव
हस्ताक्षर नाम एवं मुद्रा सहित

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति

आज दिनांक 4.3.2011 को एस.डी.एम. को एवं के पास वन विभाग की भूमि की ... हेतु उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक बुलाई गई जिसमें निम्न लिखित सदस्य उपस्थित हुये

1–	श्री एस.डी. सिंह	अनुविभागीय अधि. कोतमा	अध्यक्ष
2.	श्री एस.पी. पाण्डेय	मुख्य कार्यपालन अधि. जनपद अनूपपुर	सदस्य सचिव
3.	श्री [illegible]	उप वनमण्डलाधिकारी अनूपपुर	सदस्य
4	श्रीमती पुष्पलता सिंह नि. तितरी पोंड़ी	जनपद सदस्य अनूपपुर	सदस्य
5–	श्री मोपाल सिंह नि. रेउला	"	सदस्य
6.	श्री एम. आर. सिंह मो. वन परि. अधि. कोतमा	वन परिक्षेत्राधिकारी कोतमा	सदस्य
7.	श्री शान्तनु सिंह [illegible]	SECL जमुना	[signature]
8	श्री संजय सिंह	SECL हसदेव	
9.	श्री विनोद [illegible]	जनपद सदस्य	सदस्य

बैठक में एस.ई.सी.एल जमुना क्षेत्र द्वारा ग्राम कलयाणपुर-10 के कक्ष क्रमांक 264 स्थित ग्राम पसौरी के अंशभाग 30.036 हेक्टेयर भूमिगत कोयला उत्खनन हेतु नवीनीकरण के संबंध में समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। जिसका नवीन कक्ष क्रमांक आर. 455 है। ग्राम सभा से प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है, जिसमें बतलाया गया है कि अनु.जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है अब कोई भी दावा आपत्ति प्राप्त नहीं है।

अतः उपखण्ड स्तरीय समिति ग्रामसभा द्वारा प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त करती है।

2/ (1) एस.ई.सी.एल हसदेव क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम डूमरकछार के कक्ष क्रमांक 247 नया कक्ष क्रमांक 484, कक्ष क्रमांक 248 नया कक्ष क्रमांक 483 का अंश रकबा 6.310 हेक्टेयर में उपरितल कोयला उत्खनन हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। इसी प्रकार ग्राम डूमरकछार का कक्ष क्रमांक 246, 247, 248, 249, 250 रकबा 747.920 हेक्टेयर भूमिगत खदान हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया।

2/ ग्राम डूमरकछार के कक्ष क्रमांक 240 नया क्रमांक 500, 241 नया कक्ष क्रमांक 479, 242 नया कक्ष क्रमांक 481, 266 नया कक्ष क्रमांक 497 कुल रकबा 57.042 हेक्टेयर के उत्खनन के नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। कक्ष क्रमांक 242 नया कक्ष क्रमांक 481, 243 नया कक्ष क्रमांक 482 एवं कक्ष क्रमांक 248 नया कक्ष क्रमांक 483 कुल रकबा 30.583 हेक्टेयर उत्खनन के नवीनीकरण का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया।

ग्राम डूमरकछार कक्ष क्रमांक 242, 243 का कुल रकबा 182.587 हेक्टेयर भूमिगत खदान के नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया।

2/ ग्राम पंचायत रेउन्दा के वनखण्ड कक्ष क्रमांक 237 रकबा 126.372 हेक्टेयर भूमिगत खनन हेतु प्रस्ताव स्वीकृति बाबत समिति के समक्ष रखा गया।

4/ हल्दीबाड़ी भूमिगत खदान हेतु ग्राम पंचायत डोला अन्तर्गत वन कक्ष क्रमांक 236, नया पी.एफ. 242 अंश भाग 120.000 हेक्टेयर पर भूमिगत खदान स्वीकृति का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया।

उपरोक्त सभी प्रस्तावों के संबंध में संबंधित ग्राम पंचायतों से ग्रामसभा का पारित प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। ग्रामसभा के प्रस्तावों में बतलाया गया है कि अनु. जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है और कोई भी दावा आपत्ति प्राप्त नहीं है।

अतः उपखण्ड स्तरीय समिति, ग्राम सभाओं द्वारा पारित प्रस्तावों पर अपनी सहमति व्यक्त करती है।

अनुविभागीय अधिकारी
कोतमा जि. अनूपपुर (म.प्र.)

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति

आज दिनांक 4.3.2011 को एस. डी. एम. [illegible] वन विभाग की [illegible] हेतु उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक बुलाई गई जिसमें निम्न लिखित सदस्य उपस्थित हुये।

1 — श्री ए. पी. सिंह — अनुविभागीय अधि. कोतमा — अध्यक्ष

2. श्री एस. पी. पाण्डेय — मुख्य कार्यपालन अधि. जनपद अनूपपुर — सदस्य सचिव

3. श्री आर. के. तिवारी — उप वनमण्डलाधिकारी अनूपपुर — सदस्य

4. श्रीमती पुष्पलता सिंह, नि. बिजुरी पोंड़ी — जनपद सदस्य अनूपपुर — सदस्य

5. श्री मोहन सिंह नि. रेउला — " — सदस्य

6. श्री एस. आर. सिंह मरो वन परि. अधि. कोतमा — वनपरिक्षेत्राधिकारी कोतमा — सदस्य

7. श्री शान्तनु सिंह मर्के आजाक — SECL जमुना

8. श्री [illegible] सिंह — SECL हसदेव

9. श्री विनोद कुमार — जनपद सदस्य — सदस्य

बैठक में एस.ई.सी.एल. जमुना क्षेत्र द्वारा ग्राम केल्हारीपुर के कक्ष क्रमांक 264 स्थित ग्राम पसान के अंशभाग 30.036 हेक्टेयर भूमिगत कोयला उत्खनन हेतु नवीनीकरण के संबंध में समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। जिसमें नवीन कक्ष क्रमांक आर. 455 है। ग्राम सभा के प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है, जिसमें बतलाया गया है कि अनु. जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अंतर्गत कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। अब कोई भी दावा आपत्ति प्राप्त नहीं है।

अतः उपखण्ड स्तरीय समिति ग्रामसभा द्वारा प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रेषित करती है।

2. एस.ई.सी.एल. हसदेव क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डूमरकछार के कक्ष क्रमांक 247 तथा कक्ष क्रमांक 484, कक्ष क्रमांक 248 तथा कक्ष क्रमांक 483 का अंश रकबा 6.310 हेक्टेयर में भूमिगत कोयला उत्खनन हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। इसी प्रकार ग्राम डूमरकछार का कक्ष क्रमांक 246, 247, 248, 249, 250 रकबा 747.920 हेक्टेयर भूमिगत खदान हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया।

2/ ग्राम डूमरडीहा के कक्ष क्रमांक 240 नया क्रमांक [illegible], [illegible] नया कक्ष क्रमांक 4[illegible], 242 नया कक्ष क्रमांक 481, 266 नया कक्ष क्रमांक 497 कुल रकबा 57.042 हेक्टर के उत्खनन के नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। कक्ष क्रमांक 242 नया कक्ष क्रमांक 481, 243 नया कक्ष क्रमांक 482 एवं कक्ष क्रमांक 248 नया कक्ष क्रमांक 483 कुल रकबा 30.583 हेक्टर उत्खनन के नवीनीकरण का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया।

ग्राम डूमरडीहा कक्ष क्रमांक 242, 243 का कुल रकबा 182.587 हेक्टर भूमिगत खदान के नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया।

3/ ग्राम पंचायत देवन्दा का वनखंड कक्ष क्रमांक 237 रकबा 126.372 हेक्टर भूमिगत खनन हेतु प्रस्ताव स्वीकृति बाबत समिति के समक्ष रखा गया।

4/ कल्दीवाड़ी भूमिगत खदान हेतु ग्राम पंचायत डोंगा अन्तर्गत वन कक्ष क्रमांक 236, नया पी.एफ. 242 अंश भाग 120.000 हेक्टर पर भूमिगत खदान स्वीकृति का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया।

उपरोक्त सभी प्रस्तावों के संबंध में संबंधित ग्राम पंचायतों से ग्रामसभा का पारित प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है ग्रामसभा के प्रस्तावों में बतलाया गया है कि अनु.जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है और कोई भी दावा आपत्ति प्राप्त नहीं है।

अतः उपखण्ड स्तरीय समिति, ग्रामसभा द्वारा पारित प्रस्तावों पर अपनी सम्मति प्रदान करती है।

अनुविभागीय अधिकारी

आज दिनांक 5/02/2011 को ग्राम सभा का आयोजन ग्राम पंचायत भवन प्रांगण में समय 11.00 बजे से किया गया। ग्राम सभा की अध्यक्षता श्री रामलाल आदि द्वारा किया गया।

अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही प्रारंभ किया गया।

(1) उपस्थित श्री शिवानी द्वारा गरीबी रेखा सूची में अपात्र व्यक्तियों को गरीबी रेखा सूची से नाम हटाये जाने का प्रस्ताव रखा गया जिसके लिये गरीबी रेखा सूची वर्ष 2003 को पढ़कर सुनाया गया। जिसमें से निम्न नामों पर आपत्ति की गई। जो वर्तमान में ग्राम में निवासरत नहीं है।

1. संतू / भैरू
2. गेंदिया / हलवीर बहू (कौन)
3. रवि / भगोला साहू
4. संतोष खरे / हरिहर प्रसाद
5. संगीता / बुधराम केवट
6. शिवकुमार शिवनाथ
7. रईसनिशा / सुबराती
8. फूलमती / श्रीजतिन गोंड
9. मनफूलाल / दिकनार
10. कुंती / तिलक आदि
11. सुजन / सुदर्शन
12. श्री नुर्शेन / कल्लू खान।

इन नामों को ग्राम में निवासरत नहीं पाया गया है अतः नामों को काटे जाने का समर्थन उपस्थित ग्रामवासी एवं उपस्थित ग्रामवासी द्वारा कर प्रस्ताव पारित किया गया।

सचिव
ग्रा. पंचायत पकरिहा
ज. पं. जि. अनूपपुर (म.प्र.)

5. P.C.C. रोड वार्ड क्र० 20.

प्रस्ताव - श्री अनिल साहू द्वारा वार्ड 20 में पुलिया निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया। चूंकि उक्त W.B.M. रोड 4-5 वर्ष पूर्व निर्मित किया गया था। जिस पर आज दिनांक तक कोई कार्य नहीं किया गया। जिससे बड़े-बड़े गिट्टी निकलने के कारण आवागमन में दिक्कत होती है इस प्रस्ताव का समर्थन श्री [illegible] द्वारा किया गया तथा सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव - [illegible] द्वारा [illegible] वार्ड में [illegible] में [illegible] लगवाने का प्रस्ताव रखा गया। पूर्व में [illegible] रखा था जो चोरी होने के कारण [illegible] होने से बच्चों के [illegible] की व्यवस्था नहीं रहती है। जिसे सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव - [illegible] चौधरी द्वारा वार्ड में [illegible] S.E.C.L. द्वारा पाइप लाइन से पानी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा। जिसके लिए S.E.C.L. से सम्पर्क कर कार्य कराये जाने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया जाता है।

प्रस्ताव - [illegible] द्वारा S.E.C.L. क्षेत्र से ग्राम पंचायत प्रभावित होने के कारण S.E.C.L. द्वारा सामुदायिक विकास के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में सामुदायिक [illegible] निर्माण कार्य कराये जाने की मांग रखी गई। जिसे सर्व सम्मति से उक्त कार्य का प्रस्ताव पारित किया गया। उक्त कार्य हेतु S.E.C.L. से कार्य की मांग रखी जावे।

[illegible] कार्यों के अनुसार [illegible] शासन के निर्देशानुसार अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत [illegible] में पूर्व में कार्यवाही किया जा चुका है जिसके अन्तर्गत आज दिनांक तक कोई दावा-आपत्ती प्राप्त नहीं हुए हैं।

प्रस्ताव - मनोज साहू द्वारा वार्ड-14 में नाली [illegible] बनवाने का प्रस्ताव रखा [illegible] नालियों से कचड़ा (नाली [illegible]) निकलवाने का प्रस्ताव रखा था जिसका समर्थन [illegible] द्वारा किया गया तथा सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव - श्री [illegible] साहू द्वारा वार्ड 20 के [illegible] से [illegible] चौधरी के [illegible] तथा [illegible] के घर से [illegible] तालाब के पुलिया तक नाली निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। जिसका समर्थन श्री [illegible] द्वारा किया गया तथा सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।

आदेशानुसार अध्यक्ष महोदय के आदेश से ग्राम सभा का समापन किया जाता है।

[illegible signature] सरपंच, ग्राम पंचायत [illegible] [illegible]

[illegible] अध्यक्ष

[illegible signature] सचिव, [illegible] (म.प्र.)

[illegible signature] ग्रा. पंचायत [illegible] (म.प्र.)

कार्यालय ग्राम सभा बदरा/कुशियरा टोला, जनपद पंचायत अनूपपुर जिला अनूपपुर (म.प्र.)

–ग्राम सभा का सहमति पत्र–

प्रमाणित किया जाता है कि

1. साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (आवेदक विभाग का नाम) जमुना कोतमा क्षेत्र की जमुना 1/2 खदान, भदरा 7/8, जमुना 9/10 एवं कोतमा वेस्ट खदान (परियोजना का नाम) में भूमिगत कोयला उत्खनन एवं आवासीय कालोनी, कार्यालयीन भवन एवं अन्य अवसंरचनायें, जो पूर्व से निर्मित है (कार्य का नाम), मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम बदरा एवं कुशियरा टोला के आरक्षित/ संरक्षित वन क्षेत्र के वन खण्ड कुशियरा 2 के कक्ष कमांक आरएफ 266 एवं वन खण्ड कल्याणपुर 10 के कक्ष कमांक आरएफ 265 के अंशभाग 131.000 हे. भूमिगत कोयला उत्खनन उपयोग हेतु एवं 12.969 हे. वर्णित उपरितल उपयोग हेतु, में है। **उक्त वन भूमि मूल प्रकरण के अनुसार 255.736 हे. वन भूमि कोयला उत्खनन उपयोग हेतु एवं 68.979 हे. उपरितल उपयोग हेतु व्यपवर्तन नवीनीकरण प्रस्ताव के अन्तर्गत है।** उक्त वन भूमि व्यपवर्तन नवीनीकरण का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
2. वन भूमि व्यपवर्तन नवीनीकरण का प्रस्ताव अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 26.01.2011 को की गई, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यपवर्तन नवीनीकरण के लिए आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं/ प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन नवीनीकरण के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्नः– ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की अभिप्रमाणित छायाप्रति।

दिनांकः– 26/1/2011

कृपा देवी

प्रधान/ सचिव

हस्ताक्षर नाम एवं मुद्रा सहित

05

क्र	उपस्थित ग्रामवासी एवं मतदाताओं के नाम	हस्ताक्षर / नि.अ.	क्र	उपस्थित ग्रामवासी एवं मतदाताओं के नाम	हस्ताक्षर / नि.अ.
1	[illegible] साहू	नि.अ. [illegible]	16	[illegible] चौधरी	नि.अ. [illegible]
2	[illegible] साहू	राम [illegible] साहू	17	[illegible]	[illegible]
3	[illegible] चौधरी	नि.अ. [illegible]	18	[illegible] चौधरी	नि.अ. [illegible]
4	दिनेश साहू	दिनेश साहू	19	[illegible]	हरी लाल
5	[illegible] चौधरी	कैलाश चौधरी	20	राजेश साहू	
6	[illegible] साहू	[illegible] साहू	21	रमेश त्रिपाठी	[illegible] त्रिपाठी
7	[illegible] साहू	[illegible] साहू	22	[illegible] द्विवेदी	[illegible]
8	[illegible]	नि.अ. [illegible]	23	[illegible] चौधरी	
9	[illegible] साहू	[illegible] साहू	24	[illegible] चौधरी	
10	[illegible]	नि.अ. [illegible]	25	[illegible] चौधरी	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	26	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]		27	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]		28	[illegible] चौधरी	[illegible]
14	[illegible] चौधरी	नि.अ. [illegible]	29	[illegible]	
15	[illegible]	नि.अ. [illegible]	30	[illegible]	[illegible]

सचिव
ग्रा. पंचायत [illegible]

06

क्र.	उपस्थित पदाधिकारी का नाम / सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा
31	अरविन्द [illegible] पंच	[illegible]
32	सोमवती पंच	सोमवती [illegible]
33	कुसमिया	कुसमिया
34	कान्ती चौधरी पंच	शाँति
35	गीता अग्रवाल	गीता अग्रवाल
36	रामवती चौधरी	रामवती चौधरी
37	[illegible]	[illegible]
38	मनोज साहू	[illegible]
39	राजकिशोर मिश्रा	[illegible]
40	[illegible] पाल	[illegible]
41	[illegible] पंच	[illegible]
42	[illegible] उपसरपंच	
43	[illegible] पंच	[illegible]
44	[illegible] साहू	[illegible]
45	[illegible] पंच	[illegible]

07

क्र.	उपस्थित ग्रामवासी एवं सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर / नि. अं.
46	मीरा देवी पंच	मीरा देवी
47	प्रेमवती	[illegible]
48	चन्द्रवती	
49	[illegible]	[illegible]
50	कुसमिया	[illegible]
51		
52	[illegible]	[illegible]
53	रोहित	
54	[illegible] / जयदेव प्रसाद	[illegible] रोहित / जयदेव प्रसाद
55	कोमल	[illegible]
56	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]

कार्यालय ग्राम पंचायत बदरा

ज.पं. अनूपपुर, जिला–अनूपपुर (म.प्र.)

श्रीमती रूपा देवी कोल
सरपंच

क्रमांक
दिनांक : 7/03/12

28/16

प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत बदरा, जनपद पंचायत अनूपपुर जिला अनूपपुर (म.प्र.) क्षेत्रान्तर्गत जमुना कोलरी क्षेत्र में वन भूमि के निर्वनीकरण स्वरूप [illegible] वन भूमि के भू-स्वत्व पर (कि.) [illegible] [illegible] में वन विभाग द्वारा S.E.C.L. जमुना कोतमा क्षेत्र को स्वीकृत / नवीनीकरण प्रदाय किये जाने पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

रूपा देवी
सरपंच
ग्राम पंचायत बदरा
ज.पं. अनूपपुर जि. अनूपपुर (म.प्र.)

कार्यालय ग्राम सभा हरद, जनपद पंचायत अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म.प्र.)

–ग्राम सभा का सहमति पत्र–

प्रमाणित किया जाता है कि

1. साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (आवेदक विभाग का नाम) जमुना कोतमा क्षेत्र की जमुना 1/2 खदान, भदरा 7/8, जमुना 9/10 एवं कोतमा वेस्ट खदान (परियोजना का नाम) में भूमिगत कोयला उत्खनन एवं आवासीय कालोनी, कार्यालयीन भवन एवं अन्य अवसंरचनायें, जो पूर्व से निर्मित है (कार्य का नाम), मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम हरद के आरक्षित/ संरक्षित वन क्षेत्र के कोतमा वन परिक्षेत्र के अन्तर्गत कक्ष कमांक आरएफ 266 के अंशभाग 1.200 हे. भूमिगत कोयला उत्खनन उपयोग हेतु में है। उक्त वन भूमि मूल प्रकरण के अनुसार 255.736 हे. वन भूमि कोयला उत्खनन उपयोग हेतु एवं 68.979 हे. उपरितल उपयोग हेतु व्यपवर्तन नवीनीकरण प्रस्ताव के अन्तर्गत है। उक्त वन भूमि व्यपवर्तन नवीनीकरण का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
2. वन भूमि व्यपवर्तन नवीनीकरण का प्रस्ताव अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 26.01.2011 को की गई, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यपवर्तन नवीनीकरण के लिए आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं/ प्रकियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन नवीनीकरण के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्नः– ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की अभिप्रमाणित छायाप्रति।

दिनांकः–

प्रधान/सचिव

हस्ताक्षर नाम एवं मुद्रा सहित

कार्यवाही पुस्तक ग्राम पंचायत ____________ विकास खण्ड/जनपद पंचायत ____________

क्रमांक	उपस्थित पंचों के नाम	की गई कार्यवाही – विवरण	की गई कार्यवाही – संक्षिप्त कार्यवाही	प्रस्ताव निर्णय	सरपंच उपसरपंच, सदस्यों के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी
1	2	3	4	5	6
	[illegible]	26 जनवरी 2011 [illegible]	आज दिनांक 26/01/2011 [illegible]		[illegible]
	[illegible]	प्रस्ताव क्र. [illegible]	प्रस्ताव [illegible]		[illegible]
	[illegible]	प्रस्ताव क्र.= 2	प्रस्ताव=0 7		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]

[illegible]

	उपस्थित पंचों के नाम	की गई कार्यवाही		प्रस्ताव निर्णय	सरपंच उपसरपंच, सदस्यों के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी
		विषय	संक्षिप्त कार्यवाही		
1	2	3	4	5	6
	[illegible signature]	प्रस्ताव क्र. 3. [illegible]	प्रस्ताव क्र. 3 [illegible]		
	[thumb impressions and signatures, illegible]				
		प्रस्ताव क्र. 4 [illegible]	[illegible] (1) [illegible] (2) [illegible] (3) [illegible] (4) (5)		[signatures, illegible]

कार्यवाही पुस्तक ग्राम पंचायत ____________ विकास खण्ड/जनपद पंचायत

क्रमांक	उपस्थित पंचों के नाम	की गई कार्यवाही: विषय	की गई कार्यवाही: संक्षिप्त कार्यवाही	प्रस्ताव निर्णय	सरपंच उपसरपंच, सदस्यों के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी
1	2	3	4	5	6
		प्रस्ताव क्र 5 [illegible]	प्रस्ताव क्र. 5 [illegible] (1) [illegible] (2) [illegible] (3) [illegible]		
			[illegible]		
		प्रस्ताव क्र. 6 [illegible]	प्रस्ताव क्र. 6 [illegible] (1) [illegible] (2) [illegible]		
			[signatures]	[signature] [illegible]	

कार्यवाही पुस्तक ग्राम पंचायत

विकास खण्ड/जनपद पंचायत

क्रमांक	उपस्थित पंचों के नाम	विचारार्थ कार्यवाही: विषय	संक्षिप्त कार्यवाही	प्रस्ताव निर्णय	सरपंच, उपसरपंच, सदस्यों के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी
1	2	3	4	5	6
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]

कार्यवाही पुस्तक ग्राम पंचायत ____________ विकास खण्ड/जनपद पंचायत ____________

दिनांक	उपस्थित पंचों के नाम	की गई कार्यवाही — विवरण	की गई कार्यवाही — संक्षिप्त कार्यवाही	प्रस्ताव निर्णय	सरपंच उपसरपंच, सदस्यों के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी
1	2	3	4	5	6
	[illegible]	प्रस्ताव क्र [illegible] [illegible]	प्रस्ताव क्र 3 [illegible]		
	[illegible]	प्रस्ताव क्र 4 [illegible]	[illegible]		
	[illegible]		① [illegible] ② [illegible] ③ [illegible] ④ ⑤		[illegible]
	रविना बाई				
	[illegible]				

कार्यवाही पुस्तक ग्राम पंचायत ______ विकास खण्ड/जनपद पंचायत ______

क्रमांक	उपस्थित पंचों के नाम	की गई कार्यवाही: विषय	की गई कार्यवाही: संक्षिप्त कार्यवाही	प्रस्ताव निर्णय	सरपंच उपसरपंच, सदस्यों के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी
1	2	3	4	5	6
		प्रस्ताव क्र. 5 [illegible]	प्रस्ताव क्र. 5 [illegible] 12 [illegible] (1) [illegible] (2) [illegible] (3) [illegible] [illegible]		
		प्रस्ताव क्र. 6 [illegible]	प्रस्ताव क्र. 6 [illegible] (1) [illegible] (2) [illegible]		

[illegible signatures]